

पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या: प्रनि-प-82-2014(एसआई सीधीभर्ती)  
दिनांक 18-10-2015 के माध्यम से प्राप्त निर्देश।

- (1) प्रशिक्षण केन्द्र में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ/शराब का सेवन वर्जित होगा।
- (2) पान व पान मसाला व गुटखा खाकर क्लास रूम में नहीं जायेंगे तथा हास्टल की दीवारों को गन्दा नहीं करेंगे अनुशासित ढंग से रहेंगे। अनुशासनहीनता का कोई भी प्रकरण सामने आने पर ऐसे कर्मी को तत्काल प्रशिक्षण केन्द्र से वापस कर दिया जायेगा।
- (3) परेड ग्राउण्ड व क्लास रूप में मोबाइल लेकर नहीं जायेंगे। अपना मोबाइल हास्टल में रखेंगे।
- (4) प्रशिक्षण केन्द्र के अधिकारियों के आदेशों का पालन करेंगे।
- (5) प्रशिक्षण में जाते समय मौसम के अनुसार कपड़े, बिस्तर एवं मच्छरदानी आदि लेकर अवश्य जायें।
- (6) प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रशिक्षण से सम्बन्धित वर्दी तथा प्रशिक्षण सामग्री कय हेतु पर्याप्त मात्र में धनराशि तथ मेस एण्डवान्स के लिये पर्याप्त धनराशि लेकर जायेंगे।

-----

## परिशिष्ट "ख" (1)

प्रिाक्षण संस्थान में खेल, साज-सज्जा तथा अन्य व्ययों तथा वृत्ति(स्टाईपेण्ड) को प्रिाक्षण काल में दिया जाएगा, के सम्बन्ध में विद्यार्थी ( कैंडेट ) के माता पिता, संरक्षक या मित्र (प्रतिभू) के हस्ताक्षर हेतु बन्ध पत्र।

प्रतिभू चूँकि मैं.....आत्मज.....का  
नाम जिला.....का निवासी हूँ और चूँकि पुलिस सेवा के हेतु अध्ययन के  
प्रयोजनार्थ पी0टी0सी0.....में विद्यार्थी भर्ती होने के लिय उत्तर प्रदेश  
भासन में श्री.....आत्मज.....निवासी.....  
.....को चुना है और उसने सरकार की सेवा को  
वरण किया है।

अतएव यह बन्ध पत्र दिनांक.....जो उक्त.....के  
निमित्त प्रतिभू.....प्रथम पक्ष तथा राज्यपाल उत्तर प्रदेश  
द्वितीय पक्ष के मध्य में निस्पादित हुआ है। इस बात का साक्षी है कि उक्त.....के उक्त कालेज में  
प्रिाक्षा प्राप्त करने के प्रतिफलस्वरूप उक्त.....इस बन्ध के दिनांक से उक्त  
कालेज में परिश्रम पूर्वक अध्ययन करते हुए तब तक रहेगी जब तक पुलिस महानिदेशक, पुलिस  
महानिरीक्षक, उ0प्र0 या उक्त कालेज के प्रधानाचार्य उसे अपनी प्रिाक्षा छोड़ने की अनुमति न प्रदान  
करें, और वह उक्त कालेज से सम्बन्धित विद्यार्थियों ( कैंडेट ) के लिये निर्धारित नियमों का सच्चे  
हृदय से पालन करेगा। उक्त.....का उक्त अवस्था कि उक्त.....  
.....विद्यार्थी( कैंडेट )।

1-उक्त प्रिाक्षण में असफल रहे अथवा सब इन्सपेक्टर की परीक्षा पास न करें।

2-प्रिाक्षण से त्याग पत्र दें।

3-दुर्घटना ग्रस्त होने पर उक्त परीक्षण अथवा सेवा से हटा दिया जाय।

4-उक्त कालेज से सम्बन्धित विद्यार्थियों ( कैंडेट ) के लिये निर्धारित नियमों का  
पालन न करें अथवा इन नियमों के आधीन उक्त कालेज से बहिष्कृत अथवा पृथक  
किया जाय।

5-प्रिाक्षण के पश्चात 01 वर्ष के अन्दर ही नौकरी से त्याग पत्र दे दें।

6-साज सज्जा की पूर्ण धनराशि वसूल किये जाने के पूर्व वह त्याग पत्र दे दें।

7-उक्त कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा उनके चरित्र व पूर्व वृत्त के सन्तोशजनक न  
पाये जाने पर कालेज से बहिष्कृत या प्रथक किये जाय तो ऊपर लिखित किसी भी  
दशा में उक्त कैंडेट उत्तर प्रदेश भासन को निम्नलिखित के अनुसार धनराशि  
देने के लिये वचन बद्ध है:-

1-वह सब धनराशि जो साज सज्जा वस्तु अथवा अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में  
उससे देय पायी जावें।

2-वह सब धनराशि जो उत्तर प्रदेश भासन द्वारा उसे वृत्ति (स्टाईपेण्ड) के  
रूप में दी जाय।

3-वह सब धनराशि जो उत्तर प्रदेश भासन ने उक्त प्रिाक्षण प्राप्त करने  
में व्यय की हो।

4-और उत्तर प्रदेश भासन को अधिकार होगा कि उक्त धनराशि कैंडेट  
अथवा उसके प्रतिभू से उत्तर प्रदेश भासन के प्रशासकीय विभाग के सचिव  
प्रमाण पत्र पर जो उक्त कैंडेट पर बाध्य कर एवं अन्तिम होगा माल गुंजारी  
की भाँति वसूल होगा।

साक्षी

1-.....

2-.....

हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

स्थान.....

## परिशिष्ट "ख" (2)

### प्रशिक्षण संस्थान के विद्यार्थी (कैडेट) के हस्ताक्षर कराने के लिये अन्य पत्र

मैं .....आत्मज.....को.....  
.....जिला.....का निवासी हूँ।.....स्थिति पुलिस ट्रेनिंग  
कालेज में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये वर्ष.....में चुना गया हूँ। (जिसे आगे कैडेट कहा गया है)

उक्त कैडेट राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के साथ प्रसंविदा करता है कि उक्त कालेज में प्रशिक्षण प्राप्त करते समय उक्त कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा समय-समय पर जो भी साज-सज्जा उसे मिलेगी और जिसके निमित्त वह कोई धनराशि न दें, और जिसके मूल्य के सम्बन्ध में उसे यथासमय सूचना दी जाय, उसका वह उस अवस्था में जबकि वह सफल हो जाये और किसी जिले में नियुक्त हो जाये सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान 12 मासिक किताबों में कर देगा और इनके निमित्त वह एकाउन्टेन्ट को एतद् द्वारा प्राधिकृत करता है कि वह इस धनराशि को उसके उस वेतन से काट लिया जाए वह जिस जिले में सेवा प्रारम्भ करें।

उक्त कैडेट को त्याग पत्र देने, अध्ययन बन्द कर देने या पदच्युत किए जाने पर यह विकल्प होगा कि वह या तो उन वस्त्रों और अन्य वस्तुओं को जिन्हें उक्त प्रधानाचार्य ने उसे कालेज में प्रवेश करने के समय दिये हों अथवा जो वाद में काटेज स्टोर से मिलें हों अपने पास रखें या वह उन्हें ऐसे मूल्य पर, जिसे उक्त प्रधानाचार्य निर्दिष्ट करें, प्रधानाचार्य के हाथ बेच सकता है।

उक्त कैडेट राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश से यह भी प्रसंविदा करता है कि यदि वह:-

- 1-उक्त प्रशिक्षण में असफल रहे अथवा कि सब-इन्सपेक्टर की परीक्षा पास न करे।
- 2-प्रशिक्षण से त्याग पत्र दे दें।
- 3-दुर्घटनाग्रस्त होने पर उक्त प्रशिक्षण अथवा सेवा से हटा दिया जाय।
- 4-प्रशिक्षण काल में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश अथवा उक्त कालेज के प्रधानाचार्य की बिना पूर्व अनुमति के उक्त कालेज छोड़कर चला जाय या परीक्षा बन्द कर दे।
- 5-उक्त कालेज से सम्बन्धित विद्यार्थियों (कैडेट) के लिये निर्धारित नियमों को पालन न करें, अथवा इन नियमों के अधीन उक्त कालेज से बहिष्कृत अथवा पृथक किया जाय।
- 6-प्रशिक्षण के पश्चात् एक वर्ष के अन्दर ही नौकरी से त्याग पत्र दे दें।
- 7-साज सज्जा की पूर्ण धनराशि वसूल किए जाने के पूर्व वह त्याग पत्र दे दें।
- 8-उक्त कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा उनके चरित्र व पूर्ववृत्त के सन्तोषजनक न पाये जाने पर कालेज से बहिष्कृत या पृथक किया जाय तो ऊपर लिखित किसी भी दशा में उक्त कैडेट उत्तर प्रदेश भासन को निम्नलिखित के अनुसार धनराशि देने के लिये वचनबद्ध है:-

1-वह सब धनराशि जो साज-सज्जा वस्तु अथवा अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में उससे देय पायी जाय।

2-वह सब धनराशि जो उत्तर प्रदेश भासन द्वारा उसे वृत्ति (स्टाईपेण्ड) के रूप में दी जावे।

3-वह सब धनराशि जो उत्तर प्रदेश भासन ने उसे उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने में व्यय की हो और उत्तर प्रदेश भासन को अधिकार होगा कि उक्त धनराशि उक्त कैडेट अथवा उसके प्रतिभू से उत्तर प्रदेश भासन के प्रशासकीय विभाग के सचिव के प्रमाण-पत्र पर जो उक्त कैडेट पर बाध्य कर एवं अन्तिम होगा। मालगुजारी की भाँति वसूल होगा।

साक्षी

1-.....

हस्ताक्षर.....

2-.....

दिनांक.....

स्थान.....

